जोशीमठ में जलविद्युत परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कहा कि उसे NTPC (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम) को तपोवन-विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।

मुख्य बिंदु

- 5 जनवरी, 2023 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर जोशीमठ में **भूमि धँसने का मामला बिगड़ने के बाद NTPC की तपोवन-विष्णुगाड परियोजना के सभी कार्यों पर रोक लगा दी थी।**
- NDMA ने बहु-संस्थागत विशेषज्ञ संगठनों का एक समूह बनाया, जिसमें **केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान और IIT-रुड़की** आदि शामिल हैं।
- उच्च न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में NDMA ने यह भी कहा कि विशेषज्ञों ने भूमि धँसने के कई कारण गिनाए हैं, जिनमें सबसे आम कारण यह है कि **जोशीमठ शहर में अनियमित निर्माण के कारण औली से जोशीमठ तक बहने वाला प्राकृतिक जल बाधित हो गया है।**

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC)

- यह विद्युत मंत्रालय के तहत एक **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU)** है
- यह **भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है** जिसकी जड़ें **भारत में विद्युत विकास को गति देने के लिये वर्ष 1975 में स्थापित की गई थीं।**
- इसका उद्देश्य नवीनता और चपलता से प्रेरित होकर किफायती, कुशल तथा **पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय विद्युत एवं संबंधित समाधान उपलब्ध कराना** है।
- **मई 2010 में यह महारत्न कंपनी बन गई।**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (The National Disaster Management Authority- NDMA)

- **यह आपदा प्रबंधन के लिये** भारत का **सर्वोच्च वैधानिक निकाय** है।
- इसका **औपचारिक गठन 27, सितंबर 2006 को** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा किया गया था।
    - **प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं** और इसके नौ अन्य सदस्य हैं। **नौ सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में नामित** किया जाता है।
- आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।
    - हालाँकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति सभी के लिये अर्थात् केंद्र, राज्य और ज़िला के लिये सक्षम वातावरण प्रदान करती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hydel-project-at-joshimath